



उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड
शक्ति भवन, 14-अशोक मार्ग, लखनऊ

संख्या: 13-अ0प्र0(2ब)/पा0का0लि0/2011

दिनांक: 26 मार्च, 2011

कार्यालय ज्ञाप

कारपोरेशन कार्यहित में एतद्वारा का0ज्ञा0सं0-05-अ0प्र0(02ब)/पा0का0लि0/2011 दिनांक 10-01-2011 सपठित का0ज्ञा0सं0-11-अ0प्र0(2ब)/पा0का0लि0/2001 दिनांक 04-02-2011 द्वारा सहायक अभियन्ता (विद्युत एवं यांत्रिकी) पद से अधिशासी अभियन्ता (विद्युत एवं यांत्रिकी) पद पर प्रोन्नत/तैनात किये गये निम्नांकित अधिशासी अभियन्ताओं की स्तम्भ संख्या-04 में उल्लिखित कार्यालय/स्थान पर नियमित तैनाती की जाती है:-

क्र० सं०	नाम (अभि०सं०) (गृहजनपद)	नव प्रोन्नत अधिशासी अभियन्ता का वर्तमान तैनाती का कार्यालय/स्थान	अधिशासी अभियन्ता के पद पर नियमित तैनाती का कार्यालय/स्थान
(1)	(2)	(2)	(4)
1	श्री पंकज मालवीय (88069) (वाराणसी)	विद्युत परीक्षण एवं परिचालन मण्डल, लखनऊ।	(सं०) विद्युत परीक्षण एवं परिचालन मण्डल, लखनऊ। श्री दीपक आचार्य (स्थानान्तरित) के स्थान पर) (का०ज्ञा०सं०-11-अ०प्र०(2ब) दि० 04-02-2011 के क्रमांक-2 द्वारा निर्गत आदेशों के आंशिक संशोधन में)
2	श्री रंजीत सिंह यादव (88322) (हरियाणा)	765/400केवी, विद्युत पारेषण परिकल्पन मण्डल, लखनऊ।	765/400केवी, विद्युत पारेषण परिकल्पन मण्डल, लखनऊ। (का०ज्ञा०सं०-11-अ०प्र०(2ब) दि० 04-02-2011 के क्रमांक-7 द्वारा निर्गत आदेशों के आंशिक संशोधन में)
3	श्री राजेन्द्र कुमार मिश्रा (88096), (मैनपुरी)	विद्युत पारेषण उपखण्ड, हसारी, झोंसी।	विद्युत परीक्षण एवं परिचालन खण्ड, झोंसी। (का०ज्ञा०सं०-11-अ०प्र०(2ब) दि० 04-02-2011 के क्रमांक-17 द्वारा निर्गत आदेशों के आंशिक संशोधन में)
4	श्री संजीव कुमार भास्कर (अनु०जा०) (2002030) (मुरादाबाद)	सी०एल०डी०एस०, लखनऊ।	ऊर्जा प्रणाली, लखनऊ। (का०ज्ञा०सं०-11-अ०प्र०(2ब) दि० 04-02-2011 के क्रमांक-29 द्वारा निर्गत आदेशों के आंशिक संशोधन में)
5	सुश्री संगीता (अनु०जा०) (2002065) (कानपुर)	यूनीफाईड स्कीम, लखनऊ।	स्टेट लोड डिस्पैच सेन्टर-ऊर्जा परिचालन इकाई, लखनऊ। (श्री राजेश गुप्ता के स्थान पर) (का०ज्ञा०सं०-11-अ०प्र०(2ब) दि० 04-02-2011 के क्रमांक-32 द्वारा निर्गत आदेशों के आंशिक संशोधन में)

2- उक्त तैनाती आदेश जनहित याचिका संख्या 79/1997 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अन्तिम निर्णय दिनांक 21-3-2007 में निहित निर्देशों के अनुरूप हैं।

3- उपर्युक्त स्थानान्तरित अधिकारियों को कार्यभार से स्थानीय व्यवस्था द्वारा तत्काल अवमुक्त कर दिया जाये।

4- नियन्त्रक अधिकारी का यह दायित्व होगा कि वह सुनिश्चित कर ले कि स्थानान्तरित अधिकारी कार्यमुक्ति की तिथि को पावर कारपोरेशन द्वारा निर्गत आदेश सं०-5910-गोपन/पाकालि(06)-2001 दिनांक 11-8-2001 के अनुसार वार्षिक गोपनीय आख्या का अंकन तथा स्वाकन का प्रस्तुतीकरण सुनिश्चित करता है।

संयुक्त प्रबन्ध निदेशक

27/3/11

Qa